

मोतीराज - श्यामोरी कार्ड नं. ००८५/१९

दिनांक

आज्ञा पत्र

16.5.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व ताकील से रॉब रेस्पॉण्डेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त से रेस्पॉण्डेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी ताकील के प्रति समीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सत्रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुभ्र होकर नंबर ३० कम होकर द्वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हवे।

२५

मू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर